छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 240 / 2006</u>

श्री संजीव कुमार, ... अपीलार्थी
ग्राम–गीधा, पो. सेमरा
जिला–जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, नवागढ़
जिला–जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 09 अक्टूबर 2006)

श्री संजीव कुमार, ग्राम–गीधा के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत गीधा से ग्राम गीधा के सुखाउ एवं देवराम पिता जगतराम की कृषि भूमि रकबा 0.64 एकड़ के नामांतरण प्रमाणीकरण की जानकारी चाही गई थी। सरपंच ग्राम पंचायत गीधा के द्वारा उक्त प्रकरण को विवादित बतलाकार प्रस्ताव तहसीलदार नवागढ़ को भेजा गया। उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि तथा प्रमाणीकरण संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रति आवेदन दिनांक 20.04.2006 के द्वारा मांगी गई थी। इसके साथ ही अपीलार्थी ने वर्ष 01 जनवरी 2005 से 31 मार्च 2006 तक पंचायत द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों एवं उपस्थिति रजिस्टर की प्रति भी मांगी। कैश बुक एवं बैंक पासबुक की भी जानकारी मांगी। अपीलार्थी को दिनांक 13.09.2006 को अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा सूचित किया गया कि सरपंच द्वारा डाक से जानकारी अपीलार्थी को भेजी गई है, फिर भी अपीलार्थी चाहे तो दिनांक 18.09.2006 को उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करें। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को की गई। आयोग के समक्ष अपीलार्थी ने द्वितीय अपील दिनांक 19.06.2006 को प्रस्तुत की।

3/ प्रतिअपीलार्थी को आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया। सरपंच के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिए बुलाया गया किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा नामांतरण के रिकार्ड के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है।

4/ निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को जानकारी प्रदान न करने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी को 25,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे, इसका नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों को सुना गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा नामांतरण के संबंध में जानकारी चाही गई थी जिसकी जानकारी प्रतिअपीलार्थी के द्वारा नहीं दी गई है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिअपीलार्थी के द्वारा बुलाया गया किन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

5/ प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपीलार्थी ने भूमि के नामांतरण के साथ–साथ ग्राम पंचायत के अन्य अभिलेख भी मांगा है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी को कौन सी अभिलेख की जानकारी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जानकारी निर्धारित अवधि में न देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अतः उसके विरूद्ध जारी 25,000/– रूपए का नोटिस निरस्त किया जाता है। यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रतिअपीलार्थी अपीलार्थी को 15 दिन के अंदर नोटिस जारी कर अभिलेखों का निःशुल्क अवलोकन करावे तथा जो भी अभिलेख अपीलार्थी के द्वारा मांगा जावे, उसकी नियमानुसार अभिलेख शुल्क लेकर, अभिलेखों की प्रति अभिलेख शुल्क जमा कराने के 15 दिन अंदर प्रदान की जावे।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त